पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्देमातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	जगदीश प्रसाद चौधरी	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 63752–01218	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांकः रा. शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)/महामंत्री/055 दिनांक–18.02.2022

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजथान सरकार जयपुर।

विषय :– शिक्षण की नवीन योजनाओ को थोपने के स्थान पर निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने का अवसर प्रदान करवाने सुझाव प्रेषित करने बाबत।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संगठन का निवेदन है कि राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षको को प्रतिदिन अपनी ओर से तैयार की गई योजना के अनुसार पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने का अवसर दिया जाता है। शिक्षक का उद्देश्य हर हाल में तय समय मे पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। राज्य स्तर पर तैयार नवीन योजनाओं को लागू करने का दबाव शिक्षको पर नही रहता। किन्तु इसके उलट सरकारी विद्यालयों के शिक्षको को पाठ्यक्रम को पढ़ाने के स्थान पर गैर शैक्षणिक कार्यो के साथ–साथ नित नई–नई योजनाओ के अनुरूप अध्यापन करवाना होता है। शिक्षको को गुरुकुल शिक्षा पद्धति की तरह अथवा निजी विद्यालयो के शिक्षको की तरह अपनी ओर से तैयार शिक्षण योजना के अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा करवाने का अवसर प्रदान नही किया जाता। केवल शिक्षको पर निरन्तर दबाव बनाए रखने की नीति के तहत् नई–नई योजनाएं थोपी जाती है। जिस पर चिंतन करना आवश्यक है। सरकारी शिक्षको की तरह निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षको से गैर शैक्षणिक कार्य, ट्रेनिग, पोषाहार वितरण, प्रशिक्षण, ऑनलाइन डाटा फीडिंग जैसे अनेक कार्य नही करवाये जाते।

चालू सत्र 2021–22 में देखा जा रहा है कि प्रत्येक ढाई माह में शिक्षण की नई–नई योजना थोपी जा रही है जिससे शैक्षिक गुणवत्ता खासी प्रभावित हो रही है। शिक्षण योजना तैयार करने में भौगोलिक परिस्थितियां, बालको की आईक्यू व याद रखने की क्षमता में भिन्नता तथा भौतिक संसाधन इत्यादि प्रभावित करते है। ऐसे में शिक्षण योजना भी पृथक–पृथक निर्धारित करनी होती है। किन्तु सम्पूर्ण राज्य में एक जैसी शिक्षण योजना थोपना अनुचित प्रतीत होता है। नित नई–नई योजनाएं थोपने से शिक्षक वर्ग क्या व किस प्रकार शिक्षण करवाना है उसी में उलझ हुए है। ऐसे में न तो उस कक्षा का पाठ्यक्रम पूरा हो पाएगा और न ही लर्निग गैप्स की भरपाई। सत्र 2021–22 में अब तक चलाई शिक्षण योजनाएं इस प्रकार है।

1. सत्रारम्भ में ऑनलाइन पाठ्यपुस्तकों की प्रिंट, शिक्षण तथा कार्यपत्रक।
2. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण व शिक्षण करवाना।
3. लर्निग गैप्स को कम करने कार्य पुस्तिकाओ से शिक्षण। पाठ्यपुस्तके हुई गौण।
4. कुछ समय बाद एन.ए.एस. परीक्षा की तैयारी करवाने, एसआईईआरटी के पुराने प्रश्न पत्र हल करवाते हुए ओएमआर शीट भरवाने पर बल दिया गया।
5. इसी क्रम में स्माइल 3 व 2 के तहत प्रत्येक ऑनलाइन शिक्षण व क्विज हल करवाते हुए उसकी प्रिन्ट निकालकर पोर्ट फोलियो में रखना व प्रत्येक बालक को कॉलिंग करना।

6. कुछ तैयारी बालको की हो पाये इतने में 100 दिवसीय रीडिंग कैम्पन योजना शुरू कर दी। यानी विगत योजनाओं पर ब्रेक और नई योजना की क्रियान्विति पर जोर दिया गया। पाठ्यपुस्तक व पाठ्यक्रम पूर्वानुसार बाधित रही।
7. रीडिंग कैम्पन के बाद अब स्टार योजना के तहत पुनः कार्यपुस्तिका व उपचारात्मक शिक्षण प्रारम्भ कर दिया।

सुझाव :–

1. भौतिक व मानवीय संसाधनो के साथ लर्निंग गैप्स को पाटने के लिए प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम का आगामी सत्रों में विभाजन कर पृथक से कक्षा स्तरानुकूल पाठ्क्रम निर्धारित किया जावे।
2. शिक्षको को बीएलओ व गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्त कर केवल शिक्षण कार्य में लगाया जावे।
3. पाठ्यक्रमानुसार पाठ्यपुस्तके, कार्य पुस्तिकाए एवं अभ्यास पत्रक विभाग द्वारा तैयार कर सत्रारम्भ से ही दिए जावे।
4. पोषाहार के तहत दाल–मसालों के कॉम्बो पैक के साथ गेंहू चावल भी दिए जाकर वितरण में व्यतीत हो रहे समय को शिक्षण कार्य मे लगाया जावे।
5. ऑफलाइन शिक्षक प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण, क्विज, कॉलिंग, वीसी, कार्यशालाएं, विभिन्न पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा फीडिंग तथा विद्यालय के समस्त कार्य ऑनलाइन व ऑफलाइन सम्पादित करने में दोहरा समय व्यतीत हो रहा है। जिसे कम किया जावे अथवा ऑनलाइन कार्यो के लिए पृथक से कार्मिको की नियुक्ति की जावे।
6. नामांकन बढ़ने से विद्यालयो में पर्याप्त शिक्षक प्रदान किये जावे। वही एकल शिक्षक विद्यालयो में शिक्षको की व्यवस्था करने डीईओ को अधिकार प्रदान करवाने।
7. सत्र पर्यंत पाठ्यक्रम के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों की तरह एक ही योजना के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने शिक्षको को अवसर दिया जावे।

कृपया शिक्षण की नवीन योजनाओं पर अंकुश लगाने एवं शिक्षको को नियमित अध्यापन के अवसर प्रदान करवाने का कष्ट करावे। अन्यथा केवल शिक्षण की बदलती योजनाओं के सहारे कोरोनाकाल मे हिचकोले खा रही नोका का पढ़ाई रूपी वैतरणी को पार कर पाना आसान नही होगा।

भवदीय
s/d
(अरविन्द व्यास)
महामंत्री

प्रतिलिपि :–

1. माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय–स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
4. श्रीमान् निदेशक महोदया, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री